संख्या: 2583 / XV-1/09/ 1(8)/09

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 6 अगस्त, 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2009–10 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या–515 (1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत लेखानुदान को सम्मिलित करते हुए रू० 483635 हजार (रू० अड़तालीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार रू० में)

| 1–2403–पशुपालन आयोजनेत्तर–00–001–निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशालय | | 2–2403–पशुपालन अयोजनेत्तर–00–106– अन्य पशुधन विकास 03–राज्य पशुधन एवं कृषि संबंधी प्रक्षेत्र | |
|---|---|---|---|
| मदांक | धनराशि | मदांक | धनराशि |
| 01–वेतन | 335833 | 01–वेतन | 13272 |
| 02–मजदूरी | 150 | 02–मजूदरी | 200 |
| 03–महगाई भत्ता | 85958 | 03–महगाई भत्ता | 3418 |
| 06–अन्य भत्ता | 36942 | 06–अन्य भत्ते | 1460 |
| 09–विद्युत व्यय | 880 | 09–विद्युत देयक | 217 |
| 10–जलकर/जलप्रभार | 310 | 10–जलकर/जल प्रभार | 12 |
| 13–टेलीफोन व्यय | 600 | 13–टेलीफोन व्यय | 7 |
| 15–मोटर गाड़ी अनुरक्षण पैट्रोल की खरीद | 467 | 15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की | 183 |
| 17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व | 583 | 39–औषधि तथा रसायन | 143 |
| 39–औषधि रसायन | 3000 | | |
| **योग** | **464723** | **योग** | **18912** |
| | | कुल योग **(464723 + 18912) = 483635** | |

(रू० अड़तालीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र)

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि की आहरण वितरण अधिकारी को फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा से प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2009–10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक–2403–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय तथा–2403–00–106–अन्य पशुधन विकास–03–राज्य पशुधन एवं कृषि संबंधी प्रक्षेत्र की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या–515 (1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
प्रमुख सचिव

संख्याः 2583 (1)/ XV-1/ 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, वित्त को उनके पत्र संख्या–515 (1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, एन०आई०सी० को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव